

नम्बर
जो
तामील

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 06 / 2023

बउनवान

जगन्नाथ आयु 70 वर्ष पुत्र श्रीकिशन, जाति बैरवा, निवासी मऊ, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री भगवान सिंह हाडा, अभिभाषक
2. पेरोकार सरकार

(अपीलांट)



(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 25.08.2023

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 08.03.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मऊ तहसील-मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1179, 1189, रकबा 0.90 है., किस्म-गैर मुमकिन ड्रेन पर अतिक्रमी मानकर 1440/- रुपये शास्ति एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 08.03.2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट  जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।  प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है। एवं अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2023 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 288/22 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2022 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1179, 1189, रकबा 0.90 है., किस्म-गैर मुमकिन ड्रेन, ग्राम मऊ पर सम्बत् 2078 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 288/22 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2022 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगररोल द्वारा प्रकरण संख्या 66/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारा
बारा (राज.)